मसौदा- ***<u>हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए</u>***

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

दिनांक: 07.10.2025

श्रवण एवं दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन सृजित सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों के प्लेटफॉर्मों पर सामग्री की सुगम्यता (एक्सेसबिलिटी) संबंधी दिशानिर्देशों पर टिप्पणियां आमंत्रित करना

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने श्रवण और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन सृजित सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों के प्लेटफॉर्मों पर सामग्री की सुगम्यता (एक्सेसबिलिटी) के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश पेश करने का प्रस्ताव किया है।

2. सूचना और प्रसारण मंत्रालय आम जनता से दिनांक 22.10.2025 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित करता है। टिप्पणियाँ दिनांक 22.10.2025 तक एमएस वर्ड या पीडीएफ प्रारूप में इस ईमेल पते digital[dash]mediamib[at]gov[dot]in पर भेजी जा सकती हैं।

मसौदा- ***<u>हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए</u>***

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 7 अक्टूबर, 2025

श्रवण एवं दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन सृजित सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों के प्लेटफॉर्मों पर सामग्री की सुगम्यता (एक्सेसबिलिटी) संबंधी दिशानिर्देश

प्रस्तावना

जबकि भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को, चाहे उनका धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान कुछ भी हो, विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता के अधिकार का प्रावधान करता है। इसमें आगे कहा गया है कि राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

जबकि भारत दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ("यूएनसीआरपीडी" या "कन्वेंशन") का एक हस्ताक्षरकर्ता है, जो मई, 2008 में लागू हुआ। यह कन्वेंशन सुगम्यता (एक्सेसबिलिटी) को मानव अधिकार के रूप में मान्यता देता है और हस्ताक्षरकर्ताओं से अपेक्षा करता है कि वे दिव्यांगजनों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आपातकालीन सेवाओं और इंटरनेट सेवाओं तक अन्य लोगों के समान आधार पर पहुंच (एक्सेस) सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय अपनायेंगे।

जबकि भारत सरकार ने दिसंबर, 2015 में दिव्यांगजनों को सार्वभौमिक पहुँच, विकास के समान अवसर, स्वतंत्र जीवन और जीवन के सभी पहलुओं में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 'दी एक्सेसबल इंडिया कैंपेन', जिसे 'सुगम्य भारत अभियान' भी कहा जाता है, प्रारंभ किया था। इस अभियान का उद्देश्य देश में अवसंरचना, सूचना और संचार प्रणालियों में महत्वपूर्ण बदलाव लाकर सुगम्यता को बढ़ाना है।

जबकि भारत सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम) भी पारित किया है, जो दिव्यांगजनों से संबंधित प्रमुख और व्यापक कानून है। यह अधिनियम दिव्यांगजनों के लिए सेवाओं के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारियों को परिभाषित करता है। यह अधिनियम दिव्यांगजनों के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को दूर करके एक बाधा-मुक्त वातावरण बनाने की भी सिफारिश करता है, जिससे वे अन्य नागरिकों की तरह विकास का लाभ उठा सकें।

जबकि अधिनियम की धारा 29 के तहत उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों से सभी दिव्यांगजनों के सांस्कृतिक जीवन जीने और अन्य लोगों की तरह समान रूप से मनोरंजक कार्यकलापों में भाग लेने के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए कदम उठाने की अपेक्षा की जाती है। धारा 40 के तहत केंद्र सरकार से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को प्रदान की जाने वाली उपयुक्त प्रौद्योगिकियों, प्रणालियों, अन्य सुविधाओं तथा सेवाओं सहित भौतिक पर्यावरण, परिवहन, सूचना और संचार के लिए सुगम्यता के मानक निर्धारित करने की अपेक्षा की जाती है। धारा 42 के तहत उपयुक्त सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की अपेक्षा की जाती है कि दिव्यांगजनों की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक इस तरह से पहुंच हो कि ऑडियो, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उपलब्ध सभी सामग्री सुलभ प्रारूप में हो; दिव्यांगजनों को ऑडियो विवरण, सांकेतिक भाषा व्याख्या और क्लोज कैप्शनिंग प्रदान करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक पहुंच प्राप्त हो; और सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान और उपकरण जो रोजमर्रा के उपयोग के लिए हैं, सार्वभौमिक डिजाइन में उपलब्ध हों।

जबकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 27 सितंबर, 2017 को दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता मानक तैयार करने हेतु विशेषज्ञों और हितधारकों की एक समिति गठित की थी। विचार-विमर्श के बाद, मंत्रालय ने टेलीविजन कार्यक्रमों में दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता मानक तैयार किए और 11 सितंबर, 2019 को उन्हें जारी किया।

जबकि सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत ऑनलाइन सृजित सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के लिए आचार संहिता में यह प्रावधान है कि ऑनलाइन सृजित सामग्री का प्रत्येक प्रकाशक, जहां तक संभव हो, उपयुक्त पहुंच सेवाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से दिव्यांगजनों तक, प्रकाशकों द्वारा प्रेषित ऑनलाइन सृजित सामग्री की पहुंच में सुधार करने के लिए उचित प्रयास करेगा।

जबकि, दिनांक 22.04.2025 की एडवाइजरी के माध्यम से, ऑनलाइन सृजित सामग्री के प्रकाशकों को अपने प्लेटफॉर्मों पर सामग्री प्रकाशित करते समय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के विभिन्न प्रावधानों का पालन करने की सलाह दी गई थी। ओटीटी प्लेटफॉर्मों के स्व-विनियामक निकायों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई थी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म द्वारा प्रकाशित सामग्री देश के लागू कानूनों के विभिन्न प्रावधानों का पूरी तरह से अनुपालन करती हो।

कानून के पूर्वोक्त प्रावधानों और दिव्यांगजनों के लिए मनोरंजक सामग्री तक पहुंच सुनिश्चित करने के व्यापक लोक उद्देश्य के आधार पर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने श्रवण एवं दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन सृजित सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों के प्लेटफॉर्म पर सामग्री की सुगम्यता संबंधी दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

1 परिचय

1.1 ये दिशानिर्देश ऑनलाइन सृजित सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों द्वारा उपलब्ध कराई गई ऑडियो-विजुअल सामग्री के लिए सुगम्यता मानक निर्धारित करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी सामग्री श्रवण और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सुलभ हो।

1.2 इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य श्रवण एवं दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन सृजित सामग्री के प्रकाशकों द्वारा सामग्री की सुगम्यता की संस्कृति और अभ्यास के विकास का समर्थन करने के लिए एक सक्षम ढांचा प्रदान करना है।

1.3 इन दिशानिर्देशों का ध्यान केवल सामग्री पर ही नहीं, बल्कि दिव्यांगजनों द्वारा ऐसी सामग्री का आनंद लेने के लिए आवश्यक सूचना और अन्य सहायता पर भी है।

1.4 इन दिशानिर्देशों के प्रयोजनों के लिए, ऑनलाइन सृजित सामग्री के प्रकाशकों द्वारा उपलब्ध कराई गई ऑडियो-विजुअल मीडिया सेवाओं की सुगम्यता में इस ऑडियो-विजुअल सामग्री की सुगम्यता, तथा उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस घटकों, ऑनस्क्रीन सूचना और इंटरेक्शन तंत्र की सुगम्यता शामिल होगी, जिससे दिव्यांगजनों को स्वतंत्र रूप से सेवा का अनुभव करने, नेविगेट करने और उसके साथ इंटरैक्ट करने में सक्षम बनाया जा सके।

2. परिभाषाएँ

"अधिनियम" से तात्पर्य दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 से है।

"पहुँच सेवा (एक्सेस सर्विस)" से तात्पर्य ऐसी सेवा से है, जैसे उपशीर्षक, क्लोज्ड कैप्शनिंग, ऑडियो विवरण और संकेत, जो श्रवण और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सामग्री की पहुँच में सुधार करती है।

"समुचित सरकार" को दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 के तहत परिभाषित किया गया है।

"ऑडियो विवरण" दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सामग्री उपभोग के अनुभव को बेहतर बनाने हेतु ऑडियो-विज़ुअल सामग्री में दृश्य प्रस्तुतियों का श्रवणात्मक वर्णन है। संवादों के अंतराल में, यह दृश्यों, परिवेशों, क्रियाओं और वेशभूषा जैसे दृश्य तत्वों का वर्णन करता है।

"उपशीर्षक (सबटाइटल)" का अर्थ संवाद के पाठ्य संस्करण से है जो स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं और दर्शकों की सहायता के लिए ऑडियो के साथ समन्वित होते हैं।

"क्लोज्ड कैप्शनिंग" वह माध्यम है जिसके द्वारा ऑडियो संवाद, वक्ता की पहचान और ऑडियो-विज़ुअल सामग्री के ध्वनि निरूपण को उपयोगकर्ता की मांग पर ऑन-स्क्रीन पाठ के माध्यम से दृश्यमान बनाया जाता है, जो ऑडियो सामग्री के साथ समन्वित होता है।

"सुगम्यता संकेतक (एक्सेसेबिलिटी इंडिकेटर)" का अर्थ है ऑनलाइन सृजित सामग्री के प्रकाशक के प्लेटफ़ॉर्म पर इस बात का संकेत कि उस प्लेटफॉर्म पर कौन सी सामग्री सुलभ है, इसके साथ आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एक्सेस सर्विस ऑइकन या बड़े अक्षर (अपर केस) होते हैं। ऑडियो-विवरण को "(एडी)" द्वारा दर्शाया जाता है, क्लोज्ड-कैप्शनिंग को "(सीसी)" द्वारा दर्शाया जाता है और भारतीय सांकेतिक भाषा व्याख्या को "(आईएसएल)" द्वारा दर्शाया जाता है।

"भारतीय सांकेतिक भाषा दुभाषिया" एक प्रमाणित दुभाषिया है जो बधिर और कम सुनने वाले व्यक्तियों को संचार सुविधा प्रदान करने के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा का उपयोग करता है।

मीडिया में **"प्रचारात्मक ऑडियो विज़ुअल सामग्री"**, में प्रचार संबंधी प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली उक्त सामग्री के टीज़र और ट्रेलर शामिल हैं।

"ओपन कैप्शनिंग" वह कैप्शनिंग है जो ऑडियो विज़ुअल सामग्री का एक अभिन्न अंग है और इसे बंद नहीं किया जा सकता है और उपयोगकर्ता को कैप्शन या उपशीर्षक देखने के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है।

"संकेत भाषा (या सांकेतिक भाषा)" सांकेतिक भाषा का उपयोग करके किया जाने वाला संचार है। सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा है जो अर्थ संप्रेषित करने के लिए ध्वनिक रूप से संप्रेषित ध्वनि पैटर्न के बजाय, दृश्य रूप से संप्रेषित सांकेतिक पैटर्न (हाथ से संचार, शारीरिक मुद्रा)

का उपयोग करती है–हाथों की मुद्रा, हाथों, भुजाओं या शरीर की दिशा और गति और चेहरे के भावों को एक साथ मिलाकर वक्ता के विचारों को सहजता से व्यक्त किया जाता है।

"सांकेतिक भाषा व्याख्या" श्रवण बाधित दर्शकों के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा दुभाषियों द्वारा सांकेतिक भाषा में प्रस्तुत ऑडियो विज़ुअल सामग्री (वाक् और अन्य ध्वनियाँ) का अनुवादित संस्करण है। जब भी भारतीय संदर्भ में 'सांकेतिक भाषा' का उल्लेख किया जाता है, तो इसका तात्पर्य इसके एक रूप 'भारतीय सांकेतिक भाषा' (आईएसएल) से होगा।

"शॉर्ट फॉर्म सामग्री (कंटेंट)" से तात्पर्य 10 मिनट या उससे कम अवधि वाली ऑडियो-विज़ुअल मीडिया सामग्री से है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में देखने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

जब तक इन दिशानिर्देशों में अन्यथा परिभाषित न किया जाए, अन्य शब्दों का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के अंतर्गत है।

3. सुगम्यता मानक (एक्सेसबिलिटी स्टैंडर्ड)

3.1 **ऑडियो विवरण के लिए दिशानिर्देश:** ऑनलाइन सृजित सामग्री के प्रकाशक अपने उपयोगकर्ताओं के लिए ऑडियो-विज़ुअल सामग्री का ऑडियो विवरण संक्षिप्त और समझने योग्य प्रारूप में उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे जो आवंटित समय के भीतर हो और जिससे बिना किसी कठिनाई के मूल सामग्री बेहतर हो सके।

3.2 **क्लोज्ड और ओपन कैप्शनिंग संबंधी दिशानिर्देश:**

i. **सटीक:** कैप्शन संवाद में बोले गए शब्दों से मेल खाने चाहिए। इसके अलावा, कैप्शन में पृष्ठभूमि संगीत और अन्य ध्वनियाँ भी होनी चाहिए। दृश्य और संवाद के मूड, संदर्भ को दर्शाने के लिए गैर-भाषिक श्रवण जानकारी को भी शामिल करना ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, *दरवाज़े की घंटी बज रही है या दरवाज़ा बंद होने की चरमराहट सुनाई दे रही है।*

ii. **सिंक्रोनाइज्ड:** कैप्शन को यथासंभव अधिकतम सीमा तक उनके संगत बोले गए शब्दों और ध्वनियों के साथ मेल खाना चाहिए तथा स्क्रीन पर ऐसी गति से प्रदर्शित होना चाहिए जिसे दर्शक पढ़ सकें।

iii. **पूर्ण**: कैप्शन को यथासंभव पूर्ण रूप से सामग्री के आरंभ से अंत तक चलना चाहिए।

iv. **वर्तनी और व्याकरण:** कैप्शन में वर्तनी का सही इस्तेमाल होना चाहिए। व्याकरण स्क्रीन पर कही जा रही बातों के अनुरूप होना चाहिए। कैप्शनिंग टेक्स्ट के गैर-मौखिक भागों को लिखते समय उचित व्याकरण का इस्तेमाल विशेष रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए।

v. **कैप्शन की स्थिति:** कैप्शन को स्क्रीन पर अन्य महत्वपूर्ण दृश्य सामग्री को अवरुद्ध नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करना चाहिए या वीडियो स्क्रीन के किनारे से बाहर नहीं जाना चाहिए।

vi. **केस, इटैलिक और अंडरलाइनिंग:** कैप्शन में मिश्रित केस का उपयोग किया जाना चाहिए। कैप्शनिंग टेक्स्ट के लिए पूरी तरह से बड़े अक्षरों या पूरी तरह से छोटे अक्षरों का उपयोग तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वीडियो को समझने के लिए यह अत्यंत आवश्यक न हो। बल देने के लिए, टेक्स्ट को रेखांकित करने के बजाय इटैलिक का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

viii. **रंग:** कैप्शन सुपाठ्य होने चाहिए, तथा उनका फ़ॉन्ट रंग पृष्ठभूमि के विपरीत होना चाहिए।

3.3 **भारतीय सांकेतिक भाषा दिशानिर्देश:** दुभाषियों द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा की व्याख्या "पिक्चर-इन-पिक्चर" मोड में प्रदान की जानी चाहिए और यह सटीक, समन्वित होनी चाहिए और श्रवण बाधितों को स्पष्ट संदेश पहुँचाने वाली होनी चाहिए। जहाँ भारतीय सांकेतिक भाषा की व्याख्या प्रदान की जाती है, वहाँ यह इस प्रकार होनी चाहिए कि दर्शक न केवल दुभाषिया के हाथ, बल्कि उसके चेहरे के भाव भी देख सकें। मूल फिल्म पर आरोपित दुभाषिया की छवि सामान्यतः स्क्रीन के नीचे दाईं ओर दिखाई देनी चाहिए।

3.4 ऑनलाइन सृजित सामग्री के प्रकाशक यह सुनिश्चित करेगें कि उनके प्लेटफॉर्मों के यूज़र इंटरफेस (जैसे वेबसाइट, मोबाइल एप्लिकेशन (आईओएस, एंड्रॉइड), स्मार्ट-टीवी एप्लिकेशन, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, आदि) को सहायक प्रौद्योगिकियों के साथ सुगम्यता सुनिश्चित करके दिव्यांग व्यक्तियों हेतु सुलभ बनाने के लिए डिज़ाइन और विकसित किया गया है।

4. कार्यान्वयन अनुसूची

4.1 **स्तर I:** ऑनलाइन सृजित सामग्री के प्रकाशक, इन दिशानिर्देशों के प्रकाशन की तिथि से छह महीने की समाप्ति पर:

i. यह सुनिश्चित करेगें कि सभी नई सामग्री में श्रवण-बाधित और दृष्टि-बाधित दर्शकों के लिए कम से कम एक सुगम्यता विशेषता (एक्सेसबिल्टी फीचर) हो, जैसे क्लोज्ड/ओपन कैप्शनिंग (सीसी/ओसी) और ऑडियो डिस्क्रिप्टर या भारतीय सांकेतिक भाषा (एडी/आईएसएल);

ii. रिलीज़ के समय, प्रचारात्मक ऑडियो-विज़ुअल सामग्री सहित, सुगम्यता विशेषताओं को दर्शाने वाले सामग्री डिस्क्रिप्टर प्रमुखता से प्रदर्शित करेगें; और

iii. अपने प्लेटफ़ॉर्म के उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस में सुगम्यता सुविधाओं को एकीकृत और कार्यात्मक बनाएंगे।

4.2 **स्तर II - प्रगामी कार्यान्वयन**: ऑनलाइन सृजित सामग्री के प्रकाशकों को श्रवण-बाधित और दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं के लिए कम से कम एक सुगम्यता सुविधा, अर्थात् क्लोज्ड/ओपन कैप्शनिंग (सीसी/ओसी) और ऑडियो डिस्क्रिप्टर या भारतीय सांकेतिक भाषा (एडी/आईएसएल) को अपनी कंटेंट लाइब्रेरी की सभी सामग्री में क्रमिक रूप से प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, प्रकाशक निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करेंगे:

i. बारह माह के भीतर कुल कंटेंट लाइब्रेरी का कम से कम 30%;

ii. अठारह माह के भीतर कुल कंटेंट लाइब्रेरी का कम से कम 60%; और

iii. इन दिशानिर्देशों के प्रकाशन के चौबीस माह के भीतर कुल सामग्री लाइब्रेरी का 100%।

5. अतिरिक्त आवश्यकताएँ

5.1 ऑनलाइन सृजित सामग्री के प्रकाशक इन दिशानिर्देशों के प्रकाशन की तिथि तक अपने प्लेटफॉर्म पर कंटेंट लाइब्रेरी तक सामग्री की पहुंच के संबंध में एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, और उपरोक्त कार्यान्वयन अनुसूची को ध्यान में रखते हुए प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

5.2 ऑनलाइन सृजित सामग्री के प्रकाशक ओटीटी प्लेटफार्मों पर अपनी सामग्री की पहुंच के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने और प्रचार करने के लिए प्रभावी कदम उठाएंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम गाइड, प्रिंटेड प्रोग्राम गाइड पर सुलभ कार्यक्रमों को हाइलाइट करना और सुगम्य सामग्री से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों को लक्षित प्रकाशनों में जानकारी प्रदान करना शामिल है।

5.3 उपयोगकर्ताओं के लिए ओटीटी प्लेटफार्मों पर ऑडियो-विज़ुअल सामग्री की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, जिसमें श्रवण या दृश्य दिव्यांगता वाले व्यक्ति भी शामिल हैं, उद्योग को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सामग्री की पहुंच के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों के साथ सहयोग करने और काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

6. छूट

6.1 हालांकि ये दिशानिर्देश ओटीटी प्लेटफार्मों पर उपलब्ध कराई गई ऑनलाइन सृजित सामग्री तक पहुंच को उत्तरोत्तर विस्तारित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ अंतर्निहित तकनीकी और प्रचालनात्मक चुनौतियों को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, जैसे कि लाइव या डिफरड लाइव

इवेंट्स, ऑडियो कंटेंट्स और विज्ञापनों, जो आमतौर पर संक्षिप्त रूप में होते हैं, में रियल टाइम कैप्शनिंग या ऑडियो विवरण में व्यावहारिक कठिनाइयां

6.2 व्यावहारिक और प्रचालन संबंधी विचारों के आलोक में, निम्नलिखित श्रेणियों की सामग्री को इन दिशानिर्देशों की पहुँच संबंधी आवश्यकताओं को छूट प्रदान की गयी है:

i. लाइव और डिफरड लाइव कंटेंट।

ii. ऑडियो कंटेंट जैसे संगीत, पॉडकास्ट, आदि।

iii. शार्ट फार्म कंटेट

7. कार्यान्वयन और अनुपालन

7.1 सूचना और प्रसारण मंत्रालय इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी और ओटीटी प्लेटफार्मों पर सामग्री की पहुँच से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समक्ष स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करेगा। समिति प्रत्येक तिमाही में अपनी बैठक आयोजित करेगी और कार्यान्वयन के लिए संबंधित संस्थाओं को इसके निर्णयों से अवगत कराएगी।

*****